न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–112/2026
(पंजीकरण सं०–607/2026)
अभिनेश उर्फ शुभम उर्फ सनी यादव पुत्र महेंद्र यादव
निवासी–सरैया, थाना–जलालपुर, जिला–जौनपुर।

बनाम

उ०प्र० राज्य।
मु०अ०सं०–406/2024
धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व धारा 3 (2) (V क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना–जलालपुर, जिला–जौनपुर।

दिनांक–19.03.2026

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.03.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से लिखाई गयी है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की है। गलत तरीके से मुकदमा पंजीकृत कराकर उसको अभियुक्त बना दिया है। साक्षी के बयानों में विरोधाभास है। तथाकथित घटनास्थल पर उसके जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। उसको गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया गया है। वादी व चोटहिल से उसकी पहचान नहीं करायी गयी। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आशु कुमार द्वारा थाने पर लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 28.12.2024 को समय 01.30 बजे दिन में स्कूल चक्के से पढ़कर वह घर जा रहा था। तो गाँव छातीडीह के ही सुमित यादव, आयुष यादव व शुभम यादव ने उसको जातिसूचक शब्दों की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए डंडे से मारकर सिर फोड़ दिये और जान से मारने की धमकी दी। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना में आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध मु०अ०सं० –406/2024, धारा–115(2), 351(3) बी०एन० एस० व धारा 3 (2) (V क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा –115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस व धारा 3 (2) (V क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मार–पीट किये जाने, भद्दी–भद्दी गाली–गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किये जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का वर्तमान अभियोग के अतिरिक्त दो अन्य मुकदमों मु०अ०

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.19 16:27:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

सं०–246/2024 एवं मु०अ०सं०–241/2025 का आपराधिक इतिहास भी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट किया जाना, गाली–गलौज करते हुए जान से मारने धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा–35(3) बी०एन०एस० एस० की नोटिस तामील करायी गयी है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का वर्तमान अभियोग के अतिरिक्त दो अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है, परंतु अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त को उक्त किसी भी मामले में दोषसिद्ध किया गया हो। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अभिनेश उर्फ शुभम उर्फ सनी यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसको निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य /साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509